0/S 75 RLR-HCT: 3/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.3.17	अपीलान्ट ने एक अपील जरिये वकील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पेश की जो दर्ज रजिस्टर की जायें। रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की जाकर मिसल दिनांक 13.4.17 को पेश हो'। उप खण्ड अधिकारी बाप	
13/4/17	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। इन्तजार तलबी हेतु मिसल दिनांक 15/5/17 को पेश हो।	
15/5/17	राज्य ... जिला कलक्टर महोदय ... राजस्व प्रकरण ... पत्रावली न्याय आदेश ... 2017 ... आ.एं. श्री ... अटल सेवा केन्द्र पर दिनांक 15/6/17 को पेश हो। सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) बाप (जोधपुर)	
15/6/17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत बाप अधिवक्ता अपीलार्थी श्री खाड़ के पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. अनुपस्थित। अपीलार्थी ने अपील के संबंध में रेस्पो. के विरुद्ध किया कि नारपाल के उत्तराधिकार पेश कर विवाद किया कि नारपाल के वारिसान की ग्राम पंचायत में नाम दर्ज किये नाम स्वीकृति करवाना चाहते हैं। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी अपील वापस लेना चाहते हैं। अपील वापस लेने से आधिपत्य स्वीकार आधिपत्य के स्वीकार योग्य होने से आधिपत्य स्वीकार का मिसल तहसीलदार बाप को हुए आदेश है। नारपाल के वारिसान की नाम रिकार्ड की जाती है कि नारपाल के नाम स्वीकृति की उत्तराधिकार ग्राम पंचायत के नाम। अपीलार्थी को मिसल के संबंध में अधिकार होने से दायित्व समाप्त की जाती है। (राजेन्द्र कुमार डांगा) उपखण्ड अधिकारी-बाप कैम्प RAS राजस्व लोक अदालत	